

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 07.03.2023

महिला को कपट पूर्वक अपहृत करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अपहृता की बरामदगी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के नेतृत्व में उ०नि० दुर्गेश शुक्ला मय शाहपुर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 159/2023 धारा 363,370 भादवि से सम्बंधित वांछित अभियुक्त मो० रफीक खान पुत्र सफीक खान निवासी मीरकालोनी शाहपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया एवं सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

संक्षिप्त विवरण- वादिनी मुकदमा के द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 25.02.2023 को मेरी पोती कुछ जेवर, कपड़ा, मोबाइल लेकर कहीं चली गयी है। आस पास काफी ढूढा गया परन्तु नहीं मिली। मुझे शक है मेरे घर से कुछ दूरी पर रहने वाला लड़का रफीक खान अपने साथ लेकर कहीं चला गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मो० रफीक खान पुत्र सफीक खान निवासी मीरकालोनी शाहपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 159/2023 धारा 363,370 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाले टीम-

1. उ०नि० दुर्गेश कुमार शुक्ला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. का० राजेन्द्र कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का० राकेश कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. म०का० दीप्ती सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर